

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर

आ दे श

इफको टाकियो जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लि. बनाम् कुमारी मधु वगैरा
एकलपीठ सिविल विविध अपील संख्या-4549/2018

आदेश दिनांक

20.09.2018

माननीय न्यायाधिपति श्री प्रकाश गुप्ता

श्री प्रतीक शर्मा, अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थी बीमा कम्पनी

सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रत्यर्चीगण को दिनांक 11.10.2018 की वापसी के अपील एवं स्थगन प्रार्थना पत्र के नोटिस जारी किए जावे। योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी की प्रार्थना पर तामीलार्थ नोटिसेज उन्हें 'दस्ती' दिए जावे। योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी इस हेतु एक सप्ताह में आवश्यक कार्यवाही करें।

अधीनस्थ अधिकरण का अभिलेख तलब किया जावे।

(न्या. प्रकाश गुप्ता)

एमसीएस
S-64



सत्यमेव जयते